राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 15848-99 दिनांक :– 20/05/2022

विज्ञप्ति

(विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ)

शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल, आश्रम छात्रावास, व खेल अकादमी में कक्षा 6 से 12 के सम्भावित रिक्त स्थानों पर ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR ADMISSION IN TAD HOSTELS AND SCHOOLS (2022-23) लिंक पर आमन्त्रित करने हेतु निम्नानुसार दिनांक निर्धारित की जाती है। विभागीय छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए **पोर्टल खोलने की दिनांक 20.05.2022** निर्धारित की जाती है व ऑनलाईन आवेदन करने की **अंतिम दिनांक 20.06.2022** निर्धारित की जाती है। ऑनलाईन प्रवेश की वरीयता सूची जारी कर छात्रों को छात्रावास / आवासीय विद्यालय **आंवटन की प्रथम सूची दिनांक 27.06.2022 को जारी की जाएगी।**

ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व नवीन दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। **छात्र / छात्राएँ अधिकतम पांच विद्यालय एवं छात्रावास हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा** विद्यालय स्तर पर **दिनांक 25.06.2022 को आयेजित की जाएगी, प्रवेश–परीक्षा के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत एवं गत–कक्षा के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत के आधार पर सम्मिलित मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा एवं कक्षा 7 से 12 में रिक्त स्थानों हेतु प्रवेश के लिए आवश्यकता होने पर प्रवेश–परीक्षा आयोजित की जा सकती है। आश्रम छात्रावासों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण गत कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।**

(राजेन्द्र भट्ट) I.A.S.
आयुक्त

क्रमांकः–एफ.3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 15848-99 दिनांक :– 20/05/2022

प्रतिलिपि – सूचनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा) ।
3. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय / चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर / जोधपुर।
4. उपायुक्त, टीएडी, उदयपुर / डूंगरपुर / बांसवाडा / प्रतापगढ / आबूरोड।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / भरतपुर / अजमेर / पाली / बीकानेर।
6. प्रभारी अधिकारी, माडा / सहरिया प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।
10. प्रधानाचार्य, मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल..।
11. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, जनजाति आवासीय विद्यालय..।
12. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल..।

अति· आयुक्त

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 15848-99 दिनांक :- 20/05/2022

आदेश

(विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ)

शैक्षणिक सत्र 2022–23 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल, आश्रम छात्रावास व खेल अकादमी में सम्भावित रिक्त स्थानों पर ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR ADMISSION IN TAD HOSTELS AND SCHOOL'S (2022-23) लिंक पर आवेदन आंमत्रित करने हेतु निम्नानुसार तिथियॉ निर्धारित की जाती है।

जनजाति विभाग के आश्रम छात्रावास /खेल अकादमी / आवासीय / ईएमआरएस / एमपीआरएस विद्यालयों में आवेदन हेतु निर्धारित तिथियाः–

क्र. स.	**कार्यक्रम का विवरण**	दिनांक
1	जनजाति छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए पोर्टल खोलने की दिनांक	20.05.2022
2	ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करने की अंतिम दिनांक	20.06.2022
3	आवसीय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु विद्यालय स्तर पर प्रवेश–परीक्षा आयोजन	25.06.2022
4	ऑनलाईन वरीयता सूची एवं प्रवेश–परीक्षा की मेरीट अनुसार चयनित सूची जारी कर छात्रों को छात्रावास / आवासीय विद्यालय आंवटन की प्रथम प्रवेश सूची जारी करना (सूची बोर्ड पर चस्पा करना)	27.06.2022
5	प्रथम सूची के दस्तावेज सत्यापन (छात्रावास / आवासीय विद्यालय स्तर पर) एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना	28.06.2022 से 01.07.2022
6	रिक्त पद होने की स्थिति में छात्रावास / आवासीय विद्यालय आवंटन की द्वितीय सूची जारी करना (सूची बोर्ड पर चस्पा करना)	02.07.2022
7	द्वितीय सूची के दस्तावेज सत्यापन (छात्रावास / आवासीय विद्यालय स्तर पर) एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना	02.07.2022 से 07.07.2022

ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध **है। छात्र / छात्राएँ अधिकतम पांच विद्यालय एवं छात्रावास हेतु आवेदन करने के पात्र होगे।**

(राजेन्द्र भट्ट) I.A.S.
आयुक्त

क्रमांकः–एफ.3(ए)( )शिक्षा / सीटीएडी / 2022–23 / 15848-99 दिनांक :-20/05/2022

प्रतिलिपि – सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा) ।
3. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय/चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. उपायुक्त, टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर/पाली/बीकानेर।
6. प्रभारी अधिकारी, माडा/सहरिया प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु HSMS पोर्टल को प्रारम्भ करावें एवं विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावें।
8. परियोजना प्रबन्धक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।
10. प्रधानाचार्य, मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल..।
11. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनजाति आवासीय विद्यालय..।
12. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल...।

आयुक्त